# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 13 / 2024** **दायर दिनांकः 19.11.2024**

**उनवान**

1. नाथू पुत्र मूल्या जाति मीणा निवासी उदपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0

**प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां राजस्थान

**अप्रार्थी**

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

**उपस्थिति :—**

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

## निर्णय

दिनाकः— 30.06.2025

अभिभाषक प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाकें ग्राम एवं माल उदपुरिया पटवार हल्का कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में आराजी खाता संख्या 84 का खसरा नं. 26 का रकबा 1.84 है0, खसरा नं. 278 का रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 279 का रकबा 2.74 है0, खसरा नं. 534 का रकबा 0.14 है0., खसरा नं. 60 का रकबा 0.72 है0 कुल किता 5 का रकबा 5.49 है0 आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाके ग्राम एवं माल उदपुरिया पटवार हल्का कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में आराजी खाता संख्या 1 का खसरा नं. 319 का रकबा 1.30 है0 किस्म गै.मु. खाल, खसरा नं. 320 का रकबा 0.81 है0 किस्म गै.मु.खाल राज. सरकार के खाते दर्ज चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी पूर्वजों के समय से ही आम रोड से प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित खसरा नं. 319 व खसरा नं. 320 में होकर बने रास्ते से होकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित अपने स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 279 में आता—जाता रहा है एवं अपने कृषि यन्त्र एवं कृषि उपज लाता ले जाता रहा है तथा उक्त रास्ते का उपयोग—उपभोग शान्तिपूर्ण तरीके से करता चला आ रहा है। प्रार्थी सदैव से ही उक्त रास्ते में होकर अपनी आराजी को काश्त करने हेतु आता—जाता रहा है। जिसे

आज दिन तक किसी ने नहीं रोका है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से भविष्य में वाद–विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में तरमीम करवाना चाहता है। जिसके लिए प्रार्थी मुताबिक़ आदेश राशि जमा करवाने को तैयार है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू को अप्रार्थी क्रम 2 बनाया है। आराजी ग्राम उदपुरिया तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अन्य कारण वक़्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी निवेदन करता है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की ग्राम/माल उदपुरिया में स्थित आराजी खाता संख्या 84 के खसरा नं. 279 का रकबा 2.74 है0 में जाने हेतु पूर्व से खसरा नं. 319 व खसरा नं. 320 में होकर बने रास्ते जिसे संलग्न नजरी नक़्शे में A से B स्थान पर लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसको खुलासा करवाया जाकर 15 फुट चौड़े आम रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड के नजरी नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी क्रम 2 को प्रदान किये जाने की कृपा करे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा क्रमांक/राजस्व/2025/2177 दिनांक 05.06.2025 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थी अपने खाते की आराजी ख0नं0 279 पर ख0नं0 319 किस्म गै0मु0खाल व ख0नं0 320 किस्म गै0मु0खाल से होकर गुजरता है। प्रार्थी के खेत पर पहुचने का उक्त रास्ता न्यूनतम दूरी वाला रास्ता है।

अभिभाषकगण की बहस सूनी गई तथा बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)** :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना जहॉ

(क). कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख). कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है। यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात समाधान हो जाता है कि–

i- यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है, और

ii- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन/मार्ग का अभाव सिद्व किया गया है।

पुनः पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, बहस अभिभाषकगण तथा रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने खाते की आराजी ग्राम उदपुरिया के ख0नं0 279 तक आने जाने हेतु रास्ते में कोई अवरोध नही बताया है लेकिन भविष्य में वाद विवाद की स्थिति को देखते हुए रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी द्वारा ग्राम उदपुरिया पटवार हल्का कुन्जैड के खाता संख्या 1 के खसरा नं0 319 किस्म गै0मु0 खाल व ख0नं0 320 किस्म गै0मु0 खाल में से होकर रास्ता चाहा गया है जो पानी का प्राकृतिक बहाव क्षेत्र है। पानी के प्राकृतिक बहाव वाली भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती है।

उपरोक्त विवेचन, विवरण व विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित तथ्य साबित होते है।

i- प्रार्थी के खेत ग्राम व माल उदपुरिया पटवार हल्का कुन्जैड के खाता संख्या 84 के ख0नं0 279 पर जाने हेतु रास्ता अवरूद्व नही है। अतः रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता साबित नही होती है।

ii- रास्ता अन्य खातेदार की जोत में से नही होकर ग्राम व माल उदपुरिया पटवार हल्का कुन्जैड के खाता संख्या 1 के ख0नं0 319 किस्म गै0मु0 खाल तथा ख0नं0 320 किस्म गै0मु0 खाल भूमि में से चाहा गया है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 में किए गए कथन के अनुसार रास्ता चालू है। अतः वैकल्पिक मार्ग का अभाव भी साबित नही होता है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर ग्राम व माल उदपुरिया पटवार हल्का कुन्जैड के खाता संख्या 84 के ख0नं0 279 का रकबा 2.74 है0 आराजी के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आरटीएक्ट0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

## —::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**